कार्यालय–ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी, ज़िला न्यायालय धमतरी (छ0ग0)
District Legal Services Authority, Dhamtari, District court Dhamtari (C.G.)
e-mail dlsa.dhamtari@gmail.com *Phone 07722-232056*

:: आदेश ::

क्र. / 12 /LADCS/2026 धमतरी, दिनांक 06/05/2026

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के अंतर्गत स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम धमतरी के कार्यालय हेतु स्टॉफ के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1408/LADCS-23-05/2024 दिनांक 19.05.2025 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित कार्यालय सहायक/क्लर्क श्री गौतम कुमार एवं श्री महेश तारक द्वारा दिये गये त्याग पत्र को स्वीकार किये जाने के उपरांत प्रतीक्षा सूची के 04 एवं 05 अभ्यर्थी के रूप में निम्नांकित उम्मीदवार को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से **दिनांक 15.05.2025 से दिनांक 14.05.2026 तक (पदग्रहण दिनांक से शेष अवधि तक) के लिए** निर्धारित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) की राशि
1	श्री गितेश्वर कुमार पिता टेकराम निवासी ग्राम कलकसा, पोस्ट दुधली, तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) पिन नं. 491226	कार्यालय सहायक/क्लर्क	15000/–प्रतिमाह
2	कु. रिधीमा विश्वकर्मा पिता नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी क्वा. नं. ए–35, सिंचाई कालोनी रूद्री, जिला धमतरी (छ.ग.) पिन नं. 493776	कार्यालय सहायक/क्लर्क	15000/–प्रतिमाह

नियुक्ति की शर्तें :–

1. उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को **दिनांक 11.05.2026 तक** अपने पद का कार्यभार करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं कभी भी बिना क्रोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हे तत्काल सेवा से मुक्त किया जावेगा।

5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) पद के स्टाफ की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026 तक (पदग्रहण दिनांक से शेष अवधि तक) की अवधि के लिए होगी। जिनका कार्यकाल/कार्यावधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका–4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा।

6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) पद के स्टाफ का मानदेय सालसा का पत्र क्रमांक/1730/LADCS/2023 बिलासपुर दिनांक 26.06.2023 के बिन्दु क्रमांक–03 में निर्धारित क्लास–ए, क्लास–बी एवं क्लास–सी तीनों में एक का चयन अपने तीनों में जो इस जिले के लिए पूर्व में निर्धारित हुआ है, चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया गया है।

7. अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये गये Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) से नालसा से प्राप्त **संविदात्मक अनुबंध (Contractual**

Engagement) पत्र की शर्तो को मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित प्रथमतः किया जावेगा।

उक्त अनुबंध पत्र में नालसा के पत्र क्रमांक F.No. L-27/2022-NALSA(Part File)4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत तथा **नालसा से प्राप्त पत्र कमांक** F.No. L-27/2022/NALSA/415 dated 16th April, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नीचे उल्लेखित अनुबंध की शर्ते में अनिवार्यतः सम्मिलित करते हुए अनुबंध भरा जाना है :–

" You will not be entitled to a regular government post, salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis."

"आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नही होगा क्यों मानदेय या रिटेनरशीट के आधार पर और वेतन के आधार पर नही। '

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्ते एवं पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुबंध की शर्तो को मान्य करते हुए, संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका–4 के प्रावधान अनुसार संचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अनुबंधकर्ता के मध्य की जावेगी तथा अनुबंध पत्र में अनुबंधकर्ता के पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित, पूरा नाम एवं पता दिनांक सहित तैयार किया जावें।

8. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक/एल/20/2019–नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यो को, नियुक्त किये गये

स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगें, यदि कार्य संतोषजनक नही होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते है तथा आपराधिक, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

9. Spporting staff (Office Assistant & Office Peon) लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेगें।

10. जिलें में अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले Spporting staff (Office Assistant & Office Peon) को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

(माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी द्वारा अनुमोदित)

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–धमतरी (छ.ग.)
धमतरी दिनांक 06/05/2026

पृ. क्र. / 696 /LADCS/2026

प्रतिलिपि :–

01. माननीय सदस्य सचिव, छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौसिंल धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. स्थापना लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. श्री गितेश्वर कुमार पिता टेकराम निवासी ग्राम कलकसा, पोस्ट दुधली, तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) पिन नं. 491226 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
07. कु. रिधीमा विश्वकर्मा पिता नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी क्वा. नं. ए–35, सिंचाई कालोनी रूद्री, जिला धमतरी (छ.ग.) पिन नं. 493776 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

Neha Sendi
सचिव, 06/05/26
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–धमतरी (छ.ग.)